हरियाणा, करनाल से आए पंचायत सदस्यों के प्राइड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

संसद भवन में पधारे करनाल, हरियाणा के समस्त पंचायत प्रतिनिधियों का अभिवादन करता हूँ।

हरियाणा प्रदेश भारत का अनुपम प्रदेश है। हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है, देश की समृद्धि को दर्शाने वाला प्रांत है। आप उस प्रांत से आए हो, जहां श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। हरियाणा की भूमि पूरी मानवता को कर्तव्य और कर्म की सीख देती है। हरियाणा में पंचायत राज की समृद्ध व्यवस्था है। मुझे आज भारत के संसद भवन में आपका स्वागत कर प्रसन्नता हो रही है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो एवं विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर (टॉप टू बाटम) की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर (बाटम टू टॉप) की ओर हो।

पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रवाह निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर करने के लिये वर्ष 2004 में पंचायती राज को अलग मंत्रालय का दर्ज़ा दिया गया। भारत में पंचायती राज के गठन व उसे सशक्त करने की अवधारणा महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है।

गांधी जी कहते थे कि “सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।”

पंचायती राज व्यवस्था से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की भावना साकार होती है। इससे आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है, और आमजन अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन-संचालन में योगदान दे पाते हैं।

वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य देश की करीब ढाई लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था और यह उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रुरतों के अनुसार योजनाएँ बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी।

पंचायती राज ने देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, उन्हें राजनीतिक रूप से सक्षम बनाया है। आज देश में लाखों महिलाएं पंचायत और नगर स्तर पर राजनीति में भागीदार बन पाई है। यह हमारी इस स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के कारण ही संभव हो सका है।

जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, आज 115 के करीब महिलाएं संसद में नेतृत्व कर रही हैं। देश की विधानसभाओं में आज महिलाएं बड़े स्तर पर नेतृत्व कर रही हैं। हमारे पंचायत और नगर निकायों में बड़ी संख्या में महिलाएं (लगभग 14 लाख महिलाएं) नेतृत्व कर रही हैं।

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और वंचित वर्गों को पंचायती राज से मजबूती मिली है। पंचायती राज से देश में सभी वर्ग अपने अधिकारों को लेकर सजग हुए हैं।

पंचायती राज के चलते आज गाँव – कस्बे का सामान्य नागरिक भी अपने हिसाब से नीतियाँ बनवा पा रहा है। सरकार के संचालन में हर व्यक्ति और समूह भागीदार बन पा रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था में जब हम एक साथ बैठकर सामूहिकता के साथ चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और आपसी सहमति से निर्णय करते हैं तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। एक एक नागरिक में लोकतंत्र की भावना का विकास होता है।

भारत में लोकतंत्र का समृद्ध इतिहास रहा है। हमारे यहाँ प्राचीन समय में सभा और समिति जैसी संस्थाएं हुई करती थी। हमारे यहाँ वैशाली के लिच्छवी और शाक्य जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य हुआ करते थे। प्राचीन समय के ग्रंथों और शिलालेखों से हमारे यहाँ के लोकतांत्रिक इतिहास की जानकारी मिलती है।

भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहाँ वैदिक काल से लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। एक व्यवस्था थी, जिसमें राजा या सम्राट के स्थान पर परिषद या सभा में शक्ति होती थी।

महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 107/108 में भारत में गणराज्यों (जिन्हें गण कहा जाता है) की विशेषताओं के बारे में विस्तृत वर्णन है। इसमें कहा गया है कि जब एक गणतंत्र के लोगों में एकता होती है तो गणतंत्र शक्तिशाली हो जाता है और उसके लोग समृद्ध हो जाते हैं तथा आंतरिक संघर्षों की स्थिति में वे नष्ट हो जाते हैं।

पश्चिमी समाज में लोकतंत्र अधिकारों की अवधारणा से जुड़ा है, जबकि भारत का लोकतंत्र एक मानवीय संस्था है, जो मनुष्य को मनुष्य के रूप में महत्व पर आधारित एक ऐसा जीवन मार्ग है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के सभी पक्षों का समावेशी एवं समानतापूर्ण समाज की स्थापना सुनिश्चित करना है।

प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य वैशाली था। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक, वैशाली में ही दुनिया का पहला गणराज्य स्थापित हुआ।

आज लोकतांत्रिक देशों में उच्च सदन और निम्न सदन की जो प्रणाली है, वह भी वैशाली गणराज्य में थी।

वहां उस समय छोटी-छोटी समितियां थीं, जो जनता के लिए नियम और नीतियां बनाती थीं। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली में गणतंत्र की स्थापना लिच्छवियों ने की थी। लिच्छवियों का संबंध हिमालयन आदिवासी लिच्छ से था। लिच्छवियों ने वैशाली गणराज्य इसलिए स्थापित किया था, ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से बचा जा सके। कालांतर में वैशाली एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और वहां एक नई प्रणाली विकसित हुई, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। इसे ही दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपनाया। आज भारत हो या यूरोप या फिर अमेरिका, सब वैसी ही प्रणाली को मानते हैं, जैसी आज से 2500 साल पहले वैशाली में शुरू हुई थी।

दुनिया में ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की संकल्पना मैग्नाकार्टा यानि इंग्लैंड में अधिकारों के घोषणापत्र के माध्यम से ही विकसित हुई, लेकिन भारत में कई सदियों पहले से ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत हो गई थी।

मैग्नाकार्टा से भी कई वर्ष पूर्व भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक एवं लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक गुरु बसवेश्वर द्वारा 'अनुभव मंडप' की स्थापना की गई थी। यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक सामान्य मंच उपलब्ध कराता था। इसे भारत की पहली संसद माना जाता है, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता था।

बौद्ध परंपरा में विद्यमान संघ की संकल्पना भी शासन करने की एक सभा के रूप में विकसित की गई थी। इसमें किसी भी निर्णय के लिए मत का प्रयोग किया जाना अनिवार्य था। तब विश्व के किसी भी भाग में यह परंपरा देखने को नहीं मिलती थी।

हमारे देश के दक्षिणी प्रदेश तमिलनाडु में चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर है उत्तरामेरूर। उत्तरामेरूर के बैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर एक शिलालेख है। यह शासन की एक बहुत विस्तृत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक जीता जागता उदाहरण है।

तमिलनाडु में दसवीं सदी के प्रारंभ में परंथका चोल प्रथम चोल राजा था। उत्तरामेरूर के ग्रामीणों ने यह तय करने के लिए एक प्रणाली को लागू करने का फैसला किया कि उनके प्रतिनिधि कौन हो सकते हैं? यह चुनाव प्रक्रिया साल में एक बार आयोजित की जाती थी। पूरे क्षेत्र को 30 हिस्सों में व्यवस्थित किया गया था। तीन समितियों के लिए चुनाव होते थे। खातों को सत्यापित करने के लिए एक प्रकार के लेखाकार की व्यवस्था थी। निर्वाचित उम्मीदवार को वापस बुलाने के लिए नियमों का एक समुच्चय निर्धारित था।

गौर करने वाली बात यह है कि नैतिकता को सुनिश्चित करने हेतु ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं मूल्यों से ओतप्रोत उम्मीदवारों का चयन किया जाता था। यह एक लिखित संविधान था। गांव होने के कारण इसका दायरा छोटा हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वशासन की व्यवस्था थी। प्रत्येक समिति का कामकाज काफी विस्तृत था, जिसमें न्यायिक, वाणिज्यिक, कृषि, सिंचाई और परिवहन कार्य शामिल थे।

लोकतंत्र जीवन को समुचित ढंग से संचालित करने का एक तरीका है। वर्तमान में लोकतंत्र की प्रकृति में बदलाव आ रहा है। यह शासन व्यवस्था के विशेष स्वरूप तक सीमित न होकर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सभी पक्षों को संबोधित करने का एक पर्याय हो गया है। इस संकल्पना में भागीदारी, प्रतिनिधित्व, जवाबदेही, जनसामान्य की सहमति, बंधुता का आदर्श और आत्मविकास सन्निहित है।

इसी भावना के साथ भारत में सदियों से चली आ रही लोकतंत्रत्मक व्यवस्था भावी वैश्विक समाज के लिए प्रेरणादायक है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उपहारस्वरूप हमारे पूर्वजों ने हमें दी, उसे सहेजना और भावी पीढ़ी को उसका महत्व समझा पाना समस्त भारतीय समाज और उसके नागरिकों का दायित्व है।

पिछले 75 वर्षों में भारत में सामाजिक – आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, इनोवेशन, नई सोच और चिंतन तथा सभी समाजों के अंदर सामूहिक चिंतन के कारण देश प्रगति कर रहा है।

हमें अपने देश को आगे लेकर जाना है तो इसके लिए जरूरी है कि सभी समाज अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा और संस्कार दें। हम अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विरासत को याद करते हुए आगे बढ़ें।

———